पत्रांक-एम-04-26/2011................../वि0(2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक................

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार, पटना ।

विषय :- वित्त विभाग के परामर्श पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने वाले मामलों में स्वीकृत्यादेश निर्गत एवं संसूचित किये जाने की प्रक्रिया ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिन मामलों में कार्यपालिका नियमावली के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभाग के परामर्श के आधार पर प्राप्त की जाती है, उनमें प्रक्रियात्मक बिलम्ब कम करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र सं0 6974 वि0(2) दिनांक 25.09.2007 तथा पत्र सं0 96/वि0(2) दिनांक 03.01.2008 के द्वारा आवश्यक निदेश दिया गया है । लेकिन ऐसा पाया जा रहा है कि उसका पालन नहीं किये जाने के कारण मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश निर्गत किये जाने में अनावश्यक बिलम्ब हो रहा है जिसका कार्य के निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

अतः स्वीकृत्यादेश एवं राज्यादेश निर्गत किये जाने में समेकित रूप से दिशा-निर्देश निर्गत किया जा रहा है ।

1. प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव यदि चाहें तो मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु उपस्थापित संलेख के साथ ही स्वीकृत्यादेश प्रारूप की एक प्रति भी भेज सकते हैं ताकि उस पर एक बार में ही वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जा सके ।

2. यदि मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् अनुमोदित स्वीकृत्यादेश प्रारूप में कोई संशोधन की आवश्यकता हो, तो मात्र वैसे मामलों में ही संशोधित स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से संचिका वित्त विभाग भेजी जाय । शेष मामलों में प्रशासी विभाग आन्तरिक वित्तीय सलाहकार को दिखाकर स्वयं स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे ।

3. ऐसे मामलों में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के संसूचन की प्रक्रिया बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-67 सहपठित वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2218 दिनांक 16.03.2002 तथा परिपत्र सं0-9998 दिनांक 01.11.1999 द्वारा निर्धारित है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

4. ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से मामले जिनमें बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-67 के अनुसार वित्त विभाग के माध्यम से संसूचन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी संसूचन के लिए वित्त विभाग भेज दिया जाता है । अतः अनुरोध है कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन निर्गत स्वीकृत्यादेशों का संसूचन प्रशासी विभाग/सक्षम प्राधिकार द्वारा महालेखाकार को सीधे किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0:- यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

Pramod/sec-4/1

कृ0पृ0उ0...

ज्ञापांक-एम-04-26/2011........................./वि0(2)          पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-04-26/2011........................./वि0(2)          पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-एम-04-26/2011....6851-वि..../वि0(2)          पटना, दिनांक..29/6/12...

प्रतिलिपिः- सचिव (व्यय)/सभी विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, वित्त विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/6/12
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव

Pramod/sec-4/2